बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

संचिका सं०-स०क०निग०-93/2024- ....श्रीमती अर्चना कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी सम्प्रति कोटवा, पूर्वी चम्पारण के विरूद्ध आयुक्त के सचिव, आयुक्त कार्यालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1707 दिनांक-18.06.2024 एवं पत्रांक-1430 दिनांक-08.05.2024 द्वारा आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें सचिव, समाज कल्यपाण विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-6751 दिनांक-17.02.2014 द्वारा श्रीमती कुसुम कुमारी, नियमित महिला पर्यवेक्षिका को असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि अवरूद्ध करने का दण्ड अधिरोपित किये जाने के उपरान्त अधिरोपित दण्डादेश की प्रविष्टि श्रीमती कुमारी के सेवा पुस्त में नहीं किये जाने आदि आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में आरोपित पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक-1786 दिनांक-12.03.2025 एवं पत्रांक-5121 दिनांक-15.10.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मॉग की गई। आरोपी पदाधिकारी के पत्रांक-122 दिनांक-19.03.2025 एवं पत्रांक-121 दिनांक-19.03.2025 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विहित प्रपत्र में विभाग स्तर से आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक-5925 दिनांक-07.08.2025 द्वारा श्रीमती कुमारी से लिखित अभिकथन की मॉग किये जाने पर इनके पत्रांक-392 दिनांक-29.11.2025 द्वारा अपना लिखित अभिकथन उपलब्ध कराया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा में पाया गया कि स्थापना सहायक द्वारा दण्डादेश की प्रवृष्टि सेवापुस्त में अंकित कर उनके समक्ष हस्ताक्षर हेतु उपस्थापित नहीं किये जाने तथा उस समय जानकारी के अभाव में उनसे यह भूल हुई है अतएव श्रीमती कुमारी को आरोप वर्ष से निंदन की शास्ति देने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में श्रीमती अर्चना कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी सम्प्रति कोटवा, पूर्वी चम्पारण को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा- संशोधित) के नियम-14(i) के प्रावधानों के तहत आरोप वर्ष (2011-12) से निंदन' की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-
(योगेश कुमार सागर)
अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-93/2024- पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-
अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-93/2024- 1065 पटना, दिनांक- 20.02.2026

ई-मेल / निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना /प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/पूर्वी चम्पारण / जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सीतामढ़ी/पूर्वी चम्पारण / माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव /सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (स्था0), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार/ विभागीय आई0टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं श्रीमती अर्चना कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रून्नीसैदपुर, सीतामढ़ी सम्प्रति कोटवा, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।